



The Court Fees (Jharkhand Amendment) Act, 2017

Act 6 of 2017

Keyword(s):
Court Fees

Amendments Append: 24 of 2018, 3 of 2022

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

7 फरवरी, 2017

संख्या-एल०जी०-15/2016-30/लेज०-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को अनुमत कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2016 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

THE COURT FEES (JHARKHAND AMENDMENT) ACT, 2016 (JHARKHAND ACT NO.-06/2017)

To Amend The "The Court-Fees Act,1870".

Be it enacted by the legislature of the State of Jharkhand in the Sixty Seventh Year of the Republic of India as follows :-

Short title, extent and commencement:-

1. This Act, may be called "The Court- Fees (Jharkhand Amendment) Act, 2016"
2. It extends to the whole of the State of Jharkhand.
3. It shall come into force from the date as notified in the State Gazette.
4. The Section-20 of The Court Fee Act, 1870 is hereby repealed.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

3 दिसम्बर, 2018

संख्या-एल०जी०-25/2017-181/लेज०-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 मई, 2018 को अनुमत कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2017 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

THE COURT FEES (JHARKHAND AMENDMENT) ACT, 2017

(JHARKHAND ACT, 24, 2018)

To Amend The Court Fees Act, 1870

Preface:-

Under the existing provision of Court Fee Act 1870, all fees chargeable under court fee act 1870 are collected by stamps. To make the stamps available the government has to get it printed incurring huge cost. Sometimes, the unavailability of a particular denomination of stamp causes inconvenience to the people. If a system of e-payment of court fee is developed, the people will get rid of the problem of unavailability of stamp and counterfeit stamps, black marketing of stamps. The government will also gain by saving the cost of printing of stamps.

Be it enacted by the legislature of the State of Jharkhand in the Sixty Eight Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title:-
 - (i) This Act may be called, "The Court-Fees (Jharkhand Amendment) Act, 2017.
 - (ii) It extends to the whole of the State of Jharkhand
 - (iii) It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the Official Gazette appoint.
2. The section 25 of the Principal Act is substituted in the following manner:-

"25, Collection of fees by stamps or by e-payment:-
All fees referred to in section-3 or chargeable under this Act shall be collected by stamps or by e-payment."

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 133 राँची, सोमवार, 24 माघ, 1938 (श०)
13 फरवरी, 2017 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

7 फरवरी, 2017

संख्या-एल०जी०-15/2016-29/लेज०-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राष्ट्रपति दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2016

(झारखंड अधिनियम संख्या-06, 2017)

कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 में संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारंभ:-

1. यह अधिनियम, "दि कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2016" कहा जा सकेगा ।
2. इसका प्रसार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
3. यह राज्य गजट में अधिसूचित होने की तिथि से प्रवृत्त होगा ।
4. दि कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 की धारा-20 को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 फाल्गुन, 1943 (श०)

संख्या - 73 राँची, शुक्रवार,

25 फरवरी, 2022 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

22 फरवरी, 2022

संख्या-एल०जी०-11/2021-113—लेज० झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-11/02/2022 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2021

(झारखण्ड अधिनियम संख्या-03, 2022)

झारखंड राज्य अंतर्गत कोर्ट फीस अधिनियम 1870 के प्रवर्तन को संशोधित करने हेतु अधिनियम भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में झारखंड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो ।

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारम्भ :-
 - क) यह अधिनियम कोर्ट फीस (झारखंड संशोधन) अधिनियम 2021 कहा जा सकेगा ।
 - ख) इसका प्रसार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा ।
 - ग) यह राज्य गजट में अधिसूचित होने की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

खंड – “क”

2. कोर्ट फीस अधिनियम 1870 की अनुसूची I एवं II का प्रतिस्थापन :-

कोर्ट फीस अधिनियम 1870 की अनुसूची I एवं II को निम्नवत प्रतिस्थापित की जायेगी :-

अनुसूची-I
मूल्यानुसार फीस

क्र०स०	विषय	विवरण	उचित मूल्य
1	धारा 3 में उल्लिखित के सिवाए किसी सिविल या राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत किया गया वैसा वाद पत्र, लिखित कथन, किसी मूल्य या प्रतिदावा का अभिवचन अथवा किसी पंचाट को अलग रखने हेतु अपील या प्रत्याक्षेपों का आपन जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धन न हो	जब विवादग्रस्त विषयवस्तु का रकम या मूल्य (i) 30,000/- (तीस हजार) रुपये तक हो (ii) 30,000/- (तीस हजार) रुपये से अधिक किन्तु 5,00,000/- (पांच लाख) रुपये से अधिक नहीं हो (iii) 5,00,000/- (पांच लाख) रुपये से अधिक किन्तु 20,00,000/- (बीस लाख) रुपये से अधिक नहीं हो (iv) 20,00,000/- (बीस लाख) रुपये से अधिक किन्तु 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो (v) 1 करोड़ रुपये से अधिक हो	(i) मूल्य का 15 प्रतिशत (ii) 4500/- रुपये (चार हजार पांच सौ) + 30,000/- (तीस हजार) रुपये से अधिक मूल्य का 10 प्रतिशत (iii) 51500/- रुपये (इकावन हजार पांच सौ) + 500,000/- (पांच लाख) रुपये से अधिक मूल्य का 5 प्रतिशत (iv) 126500/- (एक लाख छब्बीस हजार पांच सौ) रुपये + 20,00,000/- (बीस लाख) रुपये से अधिक मूल्य का 1 प्रतिशत (v) 206500 (दो लाख छः हजार पांच सौ) रुपये + 1 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का ½ (आधा) प्रतिशत अधिकतम 300000 (तीन लाख) रुपये
2	विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963, की धारा 6 के अधीन कब्जा के लिए किसी वाद में वाद पत्र		मद संख्या-1 के अंतर्गत निर्धारित दर के अनुसार
3	विल का प्रोबेट या प्रशासन पत्र, विल उपाबद्ध करने के साथ या उसके बिना		मूल्य का 10 प्रतिशत न्यूनतम 500/- (पांच सौ) रुपये तथा

			अधिकतम 300000/- (तीन लाख) रुपये
4	उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र अधिनियम 1889 के अधीन प्रमाण पत्र		मद संख्या-3 के अनुसार प्रमाण-पत्र में वर्णित मूल्य के अनुसार

अनुसूची-II
नियत फीस

क्र०सं०	विषय	विवरण	उचित मूल्य
1	(i) आवेदन या अर्जी	जब राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय निकाय के प्रशासनिक अथवा राजस्व पदाधिकारी या उच्च न्यायालय से भिन्न दिवानी या फौजदारी न्यायालय में प्रस्तुत हो तथा जिसके सम्बन्ध में अन्यथा उपबंधित न हो	20/- (बीस) रुपये
	(ii) जब उच्च न्यायालय में प्रस्तुत हो	संविधान के अनुच्छेद 226, 227 के अंतर्गत (क) सामान्य आवेदन दायर करने हेतु (ख) जनहित याचिका दायर करने हेतु (ग) अन्य आवेदनों पर	500/- (पांच सौ) रुपये 1000/- (एक हजार) रुपये 250/- (दो सौ पचास) रुपये
	(iii) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-115 अंतर्गत सिविल संशोधन या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 सह पठित धारा 399/401 अंतर्गत अपराधिक संशोधन		250/- (दो सौ पचास) रुपये
2	दूसरे न्यायालय से अभिलेखों को मंगाने के लिए आवेदन		50/- (पचास) रुपये
3	अर्किचन के रूप में वाद चलाने या अर्किचन के रूप में अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन		20/- (बीस) रुपये
4	अधिभोग के अधिकार को स्थापित या साबित करने के लिए वाद पत्र या अपील का ज्ञापन		100/- (सौ) रुपये
5	दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 अथवा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की किसी धारा के अधीन न्यायालय या		20/- (बीस) रुपये

	मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया किसी आदेश के अनुपालन में दिया गया जमानत पत्र या अन्य बाह्य लिखित और जो इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं है।		
6	भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 (1869 का 4) की धारा 49 के अधीन वचनबद्ध		100/- (एक सौ) रूपये
7	शपथ पत्र	(i) उच्च न्यायालय से भिन्न अन्य सभी न्यायालय (ii) उच्च न्यायालय में	20/- (बीस) रूपये 30/- (तीस) रूपये
8	वकालतनामा	(i) उच्च न्यायालय से भिन्न अन्य सभी न्यायालय (ii) उच्च न्यायालय में	30/- (तीस) रूपये 50/- (पचास) रूपये
9	किसी निर्णय, डिक्री, आदेश कार्यवाही, या कार्यवाही के साथ संलग्न दस्तावेज की प्रति आदि		10/- (दस) रूपये प्रति पृष्ठ
10	केवियट		100/- (एक सौ) रूपये
11	आदेश पर पुनर्विचार हेतु आवेदन		500/- (पांच सौ) रूपये
12	अपील का ज्ञापन जब अपील किसी डिक्री या किसी डिक्री का बल प्राप्त के विरुद्ध न हो, प्रस्तुत किया जाए	(i) उच्च न्यायालय से भिन्न अन्य किसी सिविल न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय से भिन्न किसी राजस्व न्यायालय या किसी कार्यपालक के पदाधिकारी अथवा मुख्य नियंत्रि राजस्व या कार्यपालक प्राधिकारी को (ii) उच्च न्यायालय या मुख्य नियंत्रि कार्यपालक या राजस्व प्राधिकार को	50/- (पचास) रूपये 100/- (एक सौ) रूपये
13	निम्नांकित वाद में वाद पत्र या अपील का ज्ञापन	(i) किसी सिविल न्यायालय का संक्षिप्त निर्णय या आदेश जो लेटर्स पेटेंट या किसी भी राजस्व न्यायालय द्वारा स्थापित न हो, को परिवर्तित या अपास्त करने के लिए (ii) राजस्व संपदाओं के स्वत्वधारियों के नामों के रजिस्टर	500/- (पांच सौ) रूपये 500/- (पांच सौ) रूपये

		<p>में किसी प्रविष्टि को परिवर्तित करने या रद्द करने के लिए</p> <p>(iii) जहां कोई पारिश्रमिक राहत प्रार्थित नहीं हो, वहां घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के लिए</p> <p>(iv) किसी पंचाट को अपास्त करने के लिए</p> <p>(v) किसी दत्तक ग्रहण को अपास्त करने के लिए</p> <p>(vi) जहां विवादाग्रस्त विषयवस्तु का धन-मूल्य प्राक्कलित करना सम्भव नहीं हो और इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं हो, वहां प्रत्येक अन्य वाद के लिए</p>	<p>1000/- (एक हजार) रूपये</p> <p>1000/- (एक हजार) रूपये</p> <p>1000/- (एक हजार) रूपये</p> <p>1000/- (एक हजार) रूपये</p>
14	सिविल प्रक्रिया संचिता-1908 के अधीन न्यायालय की राय के लिए प्रश्न का उल्लेख करते हुए लिखित करार		200/- (दो सौ) रूपये
15	<p>(i) भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 44 के अधीन अर्जियों को छोड़कर इसी अधिनियम के अधीन प्रत्येक अर्जी तथा इसी अधिनियम की धारा 55 के अधीन अपील का प्रत्येक ज्ञापन</p> <p>(ii) पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम 1865 के अधीन वाद पत्र या अपील का ज्ञापन</p>		<p>500/- (पांच सौ) रूपये</p> <p>500/- (पांच सौ) रूपये</p>

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,
 प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
 विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

22 फरवरी, 2022

संख्या-एल०जी०-11/2021-114—लेज० झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक- 10/02/2022 को अनुमत कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2021 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

The Court Fees (Jharkhand Amendment) Act, 2021 (Jharkhand Act, 03, 2022)

An Act to Amend the Court Fees Act, 1870 in its application to the State of Jharkhand.

Be it enacted by the legislature of the State of Jharkhand the Seventy Two Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement:-
 - i) This Act, may be called "The Court Fees (Jharkhand Amendment), 2021"
 - ii) It extends to the whole of the State of Jharkhand.
 - iii) It shall come into force from the date as notified in the State Gazette.

PART-A

2. Substitution of Schedule I and II appended to the Court Fees Act, 1870- The schedule I and II appended to the Court Fees Act 1870 shall be substituted by the following schedule:-

Schedule-I Advalorem Fees

Table of rate of Advalorem Fees Leviable on Institution of suits

No.	Subject	Description	Rates
1	Plaint, written statement, pleading of an adjustment or counter claim or memorandum of appeal or a cross objection, or plaint or memorandum of appeal to set aside an award not otherwise provided in this Act, presented to any Civil or Revenue Court except those mentioned in Section-3.	When the amount or value of the subject matter in dispute-	
(i) up to Rs. 30,000/- (Rupees thirty thousand)		15% of the amount or value	
(ii) exceed Rs. 30,000/- (Rupees thirty thousand) but does not exceed Rs. 5,00,000/- (Rupees five lac).		Rs. 4,500/- (Rupees four thousand five hundred) + 10% of amount or value exceeding Rs. 30,000/- (Rupees thirty thousand).	

		(iii) exceeds Rs. 5,00,000/- (five lac) but does not exceed Rs. 20,00,000/- (twenty lac).	Rs. 51,500 (fifty one thousand five hundred) + 5% of amount or value exceeding Rs. 5,00,000/- (five lac).
--	--	---	---

		(iv) exceeds Rs. 20,00,000/- (Rupees twenty lac) but doesn't exceed Rs. 1 (one) crore.	Rs. 1,26,500 (Rupees one lac twenty six thousand five hundred) + 1% of the amount or value exceeding Rs. 20,00,000/- (Rupees twenty lac).
		(v) exceeds Rs. 1 (one) crore	Rs. 2,06,500/- (Rupees two lac six thousand five hundred) + ½% of the amount or value exceeding Rs. 1 (one) crore. Maximum Rs. 3,00,000/- (rupees three lac.)
2	Plaint in a suit for possession under Section 6 of Specific Relief Act, 1963.		According to rates as prescribed in item no.1.
3	Probate of a will or letters of administration with or without will annexed.		10% of the amount or value [minimum Rs. 500/- (Rupees five hundred) & maximum Rs. 3,00,000/- (Rupees three lac)].
4	Certificate under the Succession Certificate Act, 1889.		As prescribed in item no. 3 on amount or value indicated on certificate.

**Schedule-II
Fixed Fees**

No.	Subject	Description	Fee
1	(1) Application or petition	When presented to an administrative or revenue officer of State Government or Central Government or local body or in a civil or criminal or small cause court other than High Court and which is not otherwise provided-	Rs. 20/- (Rupees twenty)
	(2) When presented to the High Court-	(i) Under Article 226, 227 or under Article 226 and 227 of the Constitution-	
		(a) To file a general application.	Rs. 500/- (Rupees five hundred).
		(b) To file a Public Interest Litigation.	Rs. 1000/- (Rupees one thousand).
		(ii) On other applications	Rs. 250/- (Rupees two hundred fifty).
	(3) Application for Civil Revision under Section 115 of Civil Procedure Code or Criminal Revision under Section 397 read with Section 399/401 of Criminal Procedure Code.		Rs. 250/- (Rupees two hundred fifty).
2	Application to call for records from any other Court.		Rs. 50/- (Rupees fifty).

3	Application for leave to sue as a pauper or for leave to appeal as pauper.		Rs. 20/- (Rupees twenty).
4	Plaint or memorandum of appeal to establish or prove a right of occupancy.		Rs. 100/- (Rupees one hundred).
5	Bail Bond or other instruments of obligation given in pursuance of any order made by a Court or Magistrate under any section of the Code of Criminal Procedure, 1973 or the Code of Civil Procedure, 1908 and not otherwise provided by this Act.		Rs. 20/- (Rupees twenty).
6	Undertaking under Section 49 of the Indian Divorce Act, 1869 (4 of 1869).		Rs. 100/- (Rupees one hundred).
7	Affidavit	(i) In all other courts except the High Court.	Rs. 20/- (Rupees twenty Rupees).
		(ii) In the High Court.	Rs. 30/- (Rupees thirty).
8	Vakalatnama	(i) In all other courts except the High Court.	Rs. 30/- (Rupees thirty)
		(ii) In the High Court.	Rs. 50/- (Rupees Fifty)
9	All kinds of copies of any judgement, decree, order, proceeding, the documents filed in a proceeding etc.		Rs. 10/- (Rupees ten) per page.
10	Caveat		Rs. 100/- (Rupees one hundred)
11	Application for review of judgement.		Rs. 500/- (Rupees five hundred) only.
12	Memorandum of Appeal when the appeal is not from a decree or an order having the force of a decree and is presented.	(a) To any Civil Court other than a High Court, or to any Revenue Court, or Executive Officer, other than the High Court or Chief Controlling Revenue or Executive Authority.	Rs. 50/- (Rupees fifty).
		(b) To High Court or Chief Controlling Executive or Revenue Authority.	Rs. 100/- (Rupees one hundred).
13	Plaint or Memorandum of Appeal in each of the following suits:-	(i) To alter or set aside a summary decision or order of any of the Civil Courts (not established by Letters Patent or not a Revenue Court)	Rs. 500/- (Rupees five hundred).

		(ii) To alter or cancel any entry in a register of the names of proprietors of revenue paying estates.	Rs. 500/- (Rupees five hundred).
		(iii) To obtain a declaratory decree where no consequential relief is prayed.	Rs. 1000/- (Rupees one thousand).
		(iv) To set aside an award.	Rs. 1000/- (Rupees one thousand).
		(v) To set aside an adoption.	Rs. 1000/- (Rupees one thousand).
		(vi) For every other suit where it is not possible to estimate at a money value the subject matter in dispute and which is not otherwise provided for by this Act.	Rs. 1000/- (Rupees one thousand).
14	Agreement in writing stating a question for the opinion of the Court under the Code of Civil Procedure, 1908.		Rs. 200/- (Rupees two hundred).
15	(1) Every petition under the Indian Divorce Act, 1869 except under Section 44 of the same Act and every Memorandum of Appeal under Section 55 of the same Act.		Rs. 500/- (Rupees five hundred).
	(2) Plaint or Memorandum of Appeal under the Parsi Marriage and Divorce Act, 1865.		Rs. 500/- (Rupees five hundred).

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।
